Date - 5 Feb 2022

बजट शब्दावली

- भारत का बजट केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी में अन्य सभी मंत्रालयों की वित्तीय आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है।
- बजट में सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मदवार विवरण दिया गया है। जिसमें चालू वित्त वर्ष के अनुमानित और संशोधित आंकड़े और पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, साथ ही आने वाले वित्तीय वर्ष के अनुमान भी व्यक्त किए जाते हैं।
- पहला सवाल यह है कि वित्तीय वर्ष क्या है? दरअसल, वित्तीय मामलों के लेखांकन के लिए एक आधार वर्ष होता है, इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है।
- हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि को एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। मौजूदा बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 का है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण: 'बजट' शब्द का भारत के संविधान में सीधे उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। वित्तीय विवरण में उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विस्तृत विवरण होता है।
- बजट खाते/बजट अनुमान: बजट लेखांकन वित्तीय वर्ष के दौरान सभी करों से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और व्यय का अनुमान है।
- संशोधित लेखा/संशोधित अनुमान: बजट में किए गए अनुमानों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उनके वास्तविक आंकड़ों के बीच के अंतर को संशोधित लेखा कहा जाता है। इसका जिक्र आगामी बजट में किया गया है।
- राजकोषीय घाटा: सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
- राजस्व प्राप्तियाँ: सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की आय जो सरकार को वापस नहीं करनी होती है, राजस्व प्राप्तियाँ कहलाती है। इनमें सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेश पर प्राप्त ब्याज और लाभांश और विभिन्न सेवाओं के बदले में प्राप्त धन शामिल हैं। हालाँकि, इसमें सरकार द्वारा लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उन्हें चुकाना पड़ता है।
- राजस्व व्यय: विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, ऋण पर ब्याज का भुगतान और सब्सिडी पर व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है।
- वित्त विधेयक: नए करों को पेश करने, कर में कोई बदलाव करने या मौजूदा कर ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में पेश किए गए विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है।

Yojna IAS

- विनियोग विधेयक: सरकार को संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इस अनुमोदन के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं।
- संचित निधि: सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, बाजार से लिये गये ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त ब्याज को संचित निधि में जमा किया जाता है। भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। इस कोष से संसद की मंजूरी के बिना एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता है।
- आकस्मिकता निधि/आकस्मिकता निधि: यह निधि इसलिए बनाई जाती है ताकि यदि आपातकालीन व्यय की आवश्यकता हो तो संसद की स्वीकृति के बिना भी धन की निकासी की जा सके।
- पूंजी प्राप्तियां: सरकार द्वारा बाजार से लिए गए ऋण, आरबीआई से ऋण और विनिवेश से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है।
- पूंजीगत व्यय: सरकार द्वारा अर्जित सभी संपत्तियों पर होने वाले व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी): देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में, जीडीपी कहलाता है।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी): जब हम सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों में स्थानीय नागरिकों द्वारा किए गए कुल निवेश को जोड़ते हैं और अपने देश में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित लाभ को घटाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त राशि को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। .
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **(FDI):** जब कोई विदेशी कंपनी भारत में मौजूद किसी कंपनी में अपनी शाखा, प्रतिनिधि कार्यालय या सहायक कंपनी के माध्यम से निवेश करती है, तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है।
- विनिवेश: विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) की संपत्ति बेचकर अपना धन जुटाती है। सरकारें अपने खर्च और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए ऐसा करती हैं।
- सब्सिडी: जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार की नकद या कर छूट दी जाती है, तो इसे सब्सिडी कहा जाता है। इसका अधिकांश उद्देश्य जनकल्याण है।
- लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत कहा गया है कि लोक लेखा का निर्माण किया गया है। यह एक ऐसा कोष है जिसमें सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। गौरतलब है कि इस पैसे पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे जमाकर्ताओं को लौटाना होता है.
- कट प्रस्ताव: जब सरकार संसद के समक्ष अनुदान मांगों के अनुमोदन के लिए एक विधेयक पेश करती है, तो कभी-कभी विपक्ष द्वारा एक कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके जरिए विभिन्न मांगों में कटौती की मांग की जा रही है।

Yojna IAS

मिशन चंद्रयान-3

- हाल ही में अंतरिक्ष विभाग द्वारा जानकारी साझा की गई है कि भारत अगस्त 2022 में चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

चंद्रयान-3 मिशन:

- चंद्रयान-3 मिशन जुलाई 2019 चंद्रयान-2 मिशन का अनुवर्ती/उत्तरवर्ती मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को उतारना है।
- विक्रम लैंडर की विफलता के बाद, लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन की तलाश करने की आवश्यकता महसूस की गई, जो 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के माध्यम से संभव है।
- इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। हालांकि यह ऑर्बिटर चंद्रयान-2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से लैस नहीं होगा।
- इसका काम लैंडर को चांद पर ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी और लैंडर और अर्थ स्टेशन के बीच संचार तक सीमित रहेगा|

चंद्रयान –2 मिशन:

- चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे।
- ऑर्बिटर ने चंद्रमा को 100 किमी की कक्षा में देखा, जबकि लैंडर और रोवर मॉड्यूल को चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए अलग किया गया था।
- इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम के नाम पर रखा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रणेता विक्रम साराभाई और रोवर मॉड्यूल का नाम प्रज्ञान रखा गया जिसका अर्थ है- ज्ञान।
- इसे देश के सबसे शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी-एमके 3 द्वारा उड़ाया गया था।
- हालांकि, लैंडर विक्रम द्वारा नियंत्रित लैंडिंग के बजाय, एक क्रैश-लैंडिंग हुई, जिसके कारण रोवर प्रज्ञान को सफलतापूर्वक चंद्र सतह पर नहीं रखा जा सका।

जीएसएलवी-एमके 3:

- जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-एमके 3 (जीएसएलवी-एमके 3) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित एक उच्च प्रणोदन क्षमता वाला वाहन है। यह एक तीन चरणों वाला वाहन है जिसे संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका द्रव्यमान 640 टन है जो 8,000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में और 4000 किलोग्राम पेलोड को जीटीओ (जियो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में रख सकता है।

Yojna IAS

कक्षाओं के प्रकार:

ध्रुवीय कक्षा:

- ध्रुवीय कक्षा एक ऐसी कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है।
- इन कक्षाओं का झुकाव 90 डिग्री के करीब है। यहां से पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को उपग्रह द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है।
- इन उपग्रहों के कई अनुप्रयोग हैं जैसे फसलों की निगरानी, वैश्विक सुरक्षा, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता को मापना या वातावरण में तापमान को मापना।
- ध्रुवीय कक्षा में लगभग सभी उपग्रहों की ऊंचाई कम होती है।
- एक कक्षा को सूर्य-समकालिक कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र और उपग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण पूरी कक्षा में स्थिर रहता है।
- ये कक्षाएँ, जिन्हें "लो अर्थ ऑर्बिट्स (LEO)" के रूप में भी जाना जाता है, ऑनबोर्ड कैमरे को प्रत्येक यात्रा के दौरान समान सूर्य-प्रकाशित परिस्थितियों में पृथ्वी की छवियों को लेने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार यह उपग्रह को पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी बनाता है।
- यह हमेशा पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से गुजरता है।

भूतुल्यकाली कक्षा:

- भूतुल्यकाली उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है।
- जब उपग्रह एक विशिष्ट ऊंचाई (पृथ्वी की सतह से लगभग 36, 000 किमी) पर कक्षा में होता है, तो यह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस गति से पृथ्वी घूम रही है।
- जबकि भूस्थिर कक्षाएँ भी भू-समकालिक कक्षाओं की श्रेणी में आती हैं, उनके पास भूमध्य रेखा से ऊपर की कक्षाओं में होने का विशेष गुण होता है।
- भूस्थिर उपग्रहों के मामले में, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वृत्तीय गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।
- जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ): जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट को प्राप्त करने के लिए, एक अंतरिक्ष यान को पहले जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है।
- जीटीओ से अंतरिक्ष यान अपने इंजनों का उपयोग भूस्थिर और भू-समकालिक कक्षा में जाने के लिए करता है।

Yojna IAS

“स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी”

- प्रधानमंत्री 5 फरवरी (आज) को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा “स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी” का उद्घाटन करेंगे।
- ‘वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है)’ के उनके विचार को कायम रखते हुए, भारत उनकी 1,000वीं जयंती को ‘समानता के उत्सव’ के रूप में मना रहा है।

मूर्ति के बारे में तथ्य:

- ‘पंचलौहा’ यानी पांच धातुओं- सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनी 216 फीट ऊंची यह मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है।
- यह प्रतिमा ‘भद्र वेदी’ नामक 54 फीट ऊंचे भवन पर स्थापित है। इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर और एक शैक्षिक गैलरी शामिल है जिसमें श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण है।

जीवन परिचय:

- तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में वर्ष 1017 में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
- उनके जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था। उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान।
- उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की।
- उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनकी शिक्षाओं ने कई भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्हें अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है।
- रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की वेदांत की उप शाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है।
- यह सर्वशक्तिमान परमात्मा का अद्वैतवाद है, जिसमें केवल ब्रह्म का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती है।
- उन्होंने नवरत्नों के नाम से जाने जाने वाले नौ शास्त्रों की रचना की और वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की।
- रामानुज के सबसे महत्वपूर्ण लेखन में ‘वेदांत सूत्र’ (श्री भाष्य या ‘सच्ची टिप्पणी’) पर उनकी टिप्पणी और भगवद-गीता पर उनकी टिप्पणी (गीताभाष्य या ‘गीता पर टिप्पणी’) शामिल हैं।
- उनकी अन्य रचनाओं में ‘वेदांत संग्रह’ (वेद के अर्थ का सारांश), वेदांतसर (वेदांत का सार) और वेदांतदीप (वेदांत का दीपक) शामिल हैं।
- उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी:

Yojna IAS

- रामानुज सदियों पहले सभी वर्गों के लोगों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति के बावजूद सभी के लिए मंदिर के दरवाजे खोलने को प्रोत्साहित किया, ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।
- उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को बढ़ावा देना है, जिसका अनुवाद अक्सर 'संपूर्ण ब्रह्मांड एक परिवार है' के रूप में किया जाता है।
- उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से मंदिरों में सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के अपने विचारों का प्रचार करते हुए कई दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की।
- उन्होंने सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को गले लगाया और उनकी स्थिति के कारणों की निंदा की और शाही दरबारों से उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा।
- उन्होंने भगवान की भक्ति, करुणा, नम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की, जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है।
- रामानुजाचार्य ने इस मूलभूत विश्वास के साथ कि राष्ट्रीयता, लिंग, जाति और पंथ से पहले प्रत्येक मनुष्य समान है, लाखों लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव से मुक्त किया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

- हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत एकल और परित्यक्त माताओं को शामिल करने के लिए उनके पतियों का आधार अनिवार्य नहीं है।

आधार:

- आधार जो एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या है, भारत के सभी निवासियों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा अनिवार्य है।
- यूआईडीएआई आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- यूआईडीएआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

- यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है।

Yojna IAS

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इसके तहत, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे पैसे का भुगतान किया जाता है।

योजना के लाभ:

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है।
- पीएमएमवीवाई-सीएएस एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की किसी भी शिकायत का तेजी से, बेहतर निवारण होता है।

लक्षित लाभार्थी:

- सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्लू एंड एलएम) उन महिलाओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार में लगी हुई हैं और योजना के लिए पात्र किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं।
- सभी पात्र गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिन्होंने 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद परिवार में पहले बच्चे के लिए गर्भधारण किया है।

योजना के तहत प्राप्त लाभ:

- लाभार्थी को 5,000 रुपये का नकद लाभ तीन किस्तों में मिलता है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:
- गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण।
- प्रसव पूर्व जांच।
- बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार में पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण के पहले दौर को पूरा करना।
- पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत नकद प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार एक महिला को औसतन 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएं:

- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
- केरल में कुटुम्बश्री
- पोषण अभियान
- एकीकृत बाल विकास सेवा योज

Yojna IAS

Swadeep Kumar

Yojna IAS